न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री इन्द्राज सिंह (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 31 / 2020 दिनांक–21.10.2020

शिशूपाल सिंह पुत्र स्व0 श्री शिवनारायण जाति जाट निवासी खेदडो की ढाणी तन कोलसिया तहसील नवलगढ

– प्रार्थी

बनाम

राजस्थान–सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ

–अप्रार्थी

वकील वादी : – श्री विधाधर सिंह जाखड़
वकील प्रति. :– राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र नाम दुरूस्ती
बाबत अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.ए.

:: निर्णय ::

निर्णय दिनांक 26.11.2020

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम खेदडों की ढाणी पटवार हल्का कोलसिया मे खाता संख्या नया 118 पुराना 110 में वादी के पिता का नाम श्यानारायण दर्ज कर रखा है जबकि वादी के पिता का नाम शिवनारायण है उसे दुरूस्त करने की कृपा की जावे, जमाबन्दी ए मार्क की है इसी प्रकार खाता संख्या नया 69 पुराना 62 में वादी के पिता का नाम क्रमांक 34 पर श्योनारायण दर्ज कर रखा है जबकि वादी के पिता का नाम शिवनारायण है इस खाते की जमाबंदी बी मार्क की है। इसी प्रकार खाता संख्या नया 68 खाता सख्या पुराना 61 में क्रमांक 35 पर वादी के पिता का नाम श्योनाराम दर्ज कर रखा है जबकि वादी के पिता का नाम शिवनारायण है इस खाते की जमाबंदी सी मार्क की है। इसी प्रकार खांता संख्या नया 87 पुराना 77 में क्रमांक 27 पर प्रार्थी के पिता का नाम श्योनारायण दर्ज कर रखा है जबकि प्रार्थी के पिता का नमाम शिव नारायण है इस खाते की जमावदी डी मार्क की है। इसी प्रकार प्रार्थी के पिता का नाम मोके पर किसी के बताये अनुसार आपसी बोल–चाल की भाषा में जो नाम होते है वह नाम बाला–बाला दर्ज कर दिया, जिससे प्रार्थी को हर जगह समस्या का सामना करना पडता है। प्रार्थी के पिता की वल्दीयत सही दर्ज किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

प्रार्थी के नाम का ग्राम पंचायत कोलसिया खेदडो की ढाणी का राशन कार्ड है उसमें वादी के पिता का नाम शिवनारायण दर्ज है इसी प्रकार मतदाता पहचान पत्र में भी प्रार्थी के पिता का नाम शिव नारायण दर्ज है आधार कार्ड मे भी प्रार्थी के पिता का नाम शिवनारायण दर्ज है, जिनकी फोटो कापी क ख ग मार्क की पेश है इन सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी के पिता की वल्दीयत सही दर्ज है। अतः आधार कार्ड राशन कार्ड व मतदाता पहचान पत्र मे प्रार्थी की जो वल्दीयत दर्ज है वही वल्दीयत राजस्व रिकार्ड में सही दर्ज की जावे। राजस्व रिकार्ड में गलत वल्दीयत दर्ज होने के कारण से और आधार कार्ड राशन कार्ड मतदाता पहचान पत्र की वल्दीयत मेल नही खाने से कदम–कदम पर परेशानी व समस्या का सामना करना पडता है और सरकारी सुविधा प्राप्त करने में काफी असुविधा रहती है गलत राजस्व रिकार्ड बने रहने से हर तरफ की समस्याये पैदा होती रहती है और भविष्य में भी पैदा होने की की संभावनाये है। उक्त गलती एक क्लेरीकल मिस्टेक है जो फेस ऑफ रिकार्ड पर है जिसे तुरन्त ही टीक किया जाना व रिकार्ड को सही

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

मैन्टेन करेन के लिए यह आवश्यक भी है और लैण्ड होल्डर का कर्तव्य भी है इसलिए उक्त क्लेरीकल मिस्टेक दुरुस्त करवाने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान की सेवामें पेश है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष के संबंध में निवेदन किया गया कि प्रार्थी के पिता का नाम जहां जहां श्योनारायण व सोनाराम दर्ज है उसकी जगह शिवनारायण दर्ज करने का आदेश प्रदान करके रिकार्ड सही दुरुस्त करने की कृपा करे। जिससे प्रार्थी के साथ न्याय हो सके।

प्रार्थीगणों द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होन पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादी की गई। प्रतिवादी राज पैरोकार तहसीलदार द्वारा जवाब दावा अपने पत्रांक/भू.अ./2020/1625 दिनांक 26.11.2020 के द्वारा प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में जमाबंदी सम्वत 2075–2078 में खाता सख्या 118 में शिशुपाल सिंह पुत्र श्योनारायण हिस्सा पूर्ण जाति जाट दर्ज है व खाता सख्या 68 में राजस्व रिकार्ड में जमाबंदी सम्वत 2075–78 में शीशुपाल पुत्र सोनाराम हिस्सा 1/36 जाति जाट दर्ज हे। खाता संख्या 69 जमाबंदी 2075–2078 के राजस्व रिकार्ड में शिशपाल पुत्र सोनाराम हिस्सा 1/36 जाति जट दर्ज है। खाता संख्या 87 में जमाबंदी सम्वत 2075–78 क राजस्व रिकार्ड में शिशपाल पुत्र सोनाराम हिस्सा 3/136 जाति जाट के नाम दर्ज है। जिसका सही नाम शिशुपपाल सिंह पुत्र शिवनारायण है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज राशन कार्ड व आधार कार्ड मे मतदाता पहचान पत्र मे प्रार्थी का नाम शिशुपाल सिंह पुत्र शिवनारायण दर्ज है व मजमें आम में पूछताछ करने पर प्रार्थी का नाम शिशुपाल सिंह पुत्र शिवनारायण बताया गया है। व ग्राम पंचायत कोलसिया में प्रार्थी के पिताजी के नाम श्री शिवनारायण खेदड बालिका उच्च मा0 विधालय भवन इसके नाम से बना हुआ है। अतः मजमे आम एव प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तोवज के आधार पर प्रार्थी का सही नाम शिशुपाल सिंह पुत्र शिवनारायण राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है।

अतः राज पैरोकार तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा प्रार्थीगणो के नाम दुरुस्ती की अभिशंषा भी की गई है। प्रार्थी के दस्तावेजात आधार कार्ड, राशनकार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड तथा मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार व संलग्न दस्तावेज अनुसार प्रार्थी की प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी की प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम खेदडो की ढाणी पटवारी हल्का कोलसिया की सरहद में नई खाता संख्या 118, 69, 68, 87 में से प्रार्थी शीशुपाल सिंह के पिता का नाम श्योनारायण व सोनाराम के स्थान पर शिवनारायण दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्राज सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

Scanned by CamScanner